उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-6
संख्या-370**/2025/**I**/1163992/23-6099/**39**/2025**
लखनऊ : दिनांक 04 **दिसम्बर**, **2025**

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत बस्ती क्षेत्र के जनपद संतकबीरनगर में रामपुर मध्य से बकैनिया पकड़ी होते हुए नरचहा मार्ग पर 4x5 मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण के चालू कार्य हेतु निर्गत धनावंटन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-367/2025/I/1159125/2025/001/23-6099/39/2024, दिनांक 30.11.2025 में टंकण त्रुटिवश पत्रावली संख्या-23-6099/39/2024 अंकित हो गया है। अत: उपर्युक्त शासनादेश में अंकित पत्रावली संख्या ''367/2025/I/1159125/2025/001/23-6099/39/2024'' के स्थान पर ''367/2025/I/1159125 /2025 / 001 /23-6099/39/2025'' पढ़ा जाय।

2- शासनादेश सं0-367/2025/I/1159125/2025/001/23-6099/39/2024, दिनांक 30.11.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
(11) गार्ड फाइल।

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in